Fax/Speed Post

पत्रांक 15 / सी 2–290 / 2014 - 359
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 19/2/2015

विषयः– एम0जे0सी0 संख्या ..... / 2014 अटल बिहारी सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अवमाननावाद के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2014 एवं 73 दिनांक 16.01.2015 का सन्दर्भ किया जाए। आपके स्तर से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। यह अत्यंत खेदजनक है। ध्यातव्य हो कि यह अवमाननावाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 20184 / 2013 में दिनांक 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किए जाने से उद्भूत है। वादी द्वारा महाराजा कॉलेज, आरा में दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में 27.01.1986 के प्रभाव से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सेवा नियमितीकरण का दावा किया जा रहा है। इस मामले में 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के तहत कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वादी के अभ्यावेदन को अभिलेखों एवं तथ्यों के आलोक में विधिसम्मत प्रावधानों के अधीन नियमानुकूल तर्किक आदेश सर्वप्रथम निर्गत किया जाना है।

अंकनीय है कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत नियुक्त कर्मी की सेवा सांमजन के संबंध में विश्वविद्यालय को विभागीय स्तर से निर्गत पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के आलोक में सुसंगत कागजातों के साथ सामंजन का प्रस्ताव विभाग में भेजा जाना है। विभागीय निदेश के आलोक में ही सामंजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः वादी के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के क्रम में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2011 एवं 73 दिनांक 16.01.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि विस्तृत प्रतिवेदन तथा वादी की नियुक्ति में कुलपति की अनुमोदन से संबंधी प्रमाणिक साक्ष्य शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

विश्वासभाजन,

(एस0 एम0 करीम) 19/2/15
निदेशक (उच्च शिक्षा)